न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज)

पीठासीन अधिकारी शंकरलाल सालवी आर.ए.एस

प्रकरण सं. 38/2014 अन्तर्गत धारा 188,209 रा० का० अ०

अपीलार्थी

1. श्री फुलजी पिता पदा जाति भील निवासी वनराज तहसील बागीदौरा ।

प्रत्यर्थीगण

1. श्री हालु पिता पदा भील निवासी वनराज तहसील बागीदौ।
2. श्री शान्ति पिता हालु जाति भील निवासी वनराज तहसील बागीदौरा।
3. श्री सुभाष पिता हालु जाति भील निवासी वनराज तहसील बागीदौरा।

दिनांक– 06.04.2018

निर्णय

वादी ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के खेत खाता संख्या 8 के सर्वे नम्बर 55 रकबा 0.06 है.,56 रकबा 0.14 है.,175 रकबा 0.49 है., 182 रकबा 0.40 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.09 है. वाके ग्राम वनराज पटवार हल्का बारीगामा तहसील बागीदौरा मे स्थित होकर वादी शान्तिपुर्ण कृषि कार्य करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का प्रश्नगत भुमि पर कौई हक अधिकार नही है। प्रश्नगत भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने 15 दिन पूर्व अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर उक्त खेत पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से गैर कानूनी तरीके से खेत में प्रवेश कर हकाई करने लगे वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण झगडा फसाद एवं मारपीट करने को आमाद हो गये तथा वादी व उसके परिवार के सदस्यों को खेत छोडकर चले जाने की धमकीयां देने लगे। तथा वादी को उक्त खेतों से बेदखल करने को उतारू हो गये। प्रश्नगत आराजी नं. वादी के आजिविका का मुख्य साधन है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बेदखल किये जाने पर वादी व उसके परिवार का अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जावें व वादी को शान्तिपूर्ण काश्त करने देने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पाबन्द किया जावें।

प्रतिवादी को नोटिस जारी कर वास्ते जवाब हेतु तलब किये। प्रतिवादी की ओर से श्री रवी पटेल एडवोकेट ने वकालत पत्र पेश कर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 27.11.2015 से 04.08.2017 तक का समय दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 04.08.2017 को पेरवी नहीं करने की हिदायत की। प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु रूक–रूक कर आवाजे लगाई गई, प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की आज्ञा पारीत की गई।

साक्ष्यावादी में फुलजी पी.डब्ल्यु–1 के गवाहान का शपथ–पत्र पेश किया। वकिल वादी की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2066–2069 के खाता संख्या 8 प्रदर्श 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज रेकार्ड होकर वादी एक मात्र खातेदार कृषक है। जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक व कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित है।

Scanned by CamScanner

आज्ञा

मौजा वनराज के ख.नं. 55 रकबा 0.06है0, 56 रकबा 0.14है0, 175 रकबा 0.49है0, 182 रकबा 0.40है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.09है0 वादी की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वादी के शान्तिपूर्ण काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, न ही किसी अन्य से करावें। डिकरी जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को मैरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा जिला बांसवाडा

Scanned by CamScanner